श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/69

प्रार्थी अत्तर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी गांव कोठा वर्तमान निवासी खुईयां सरवर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता महेन्द्र सिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी गांव कोठा वर्तमान निवासी खुईयां सरवर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ने दिनांक 12.10.2009 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 05.01.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 12.10.2009 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान तरसेम सिंह पुत्र भाग सिंह एवं पवनदीप पुत्र दर्शन राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री एस. पी.सिंह खुराना ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

1373